

From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 20)

राजीव बनाम रामेश्वर तगी
हुक्म का कार्यवाही गय इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र - 212 संख्या 144 वर्ष 2020

तारीख हुक्म

15.02.2021

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को मुना
गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कौंस प्रथम दृष्टया बगला है एवं
सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 15.03.2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रसेना
से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 150/559/1.29 है 0 वाके ग्राम
महेशरा पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं रहन, बय न करें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जायें ? कोई
उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्जे अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करें। वकील
प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलवाने जारी करा पो 0 रसीद 07 दिवस में पेश करें
अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(अलवर)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

जंजप कोर्ट में पंचायत मुख्यालय...*(Signature)*...

पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित

कोर्ट जंजप में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका।

अतः पत्रावली पूर्व निष्पत्ति कार्यवाही हेतु दिनांक

08/03/21 को न्यायालय हाजरा में पेश हो।

(Signature)
शिविर प्रभारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा (अलवर)

पत्रावली आज मूलवाद के साथ पेश हुई। पक्षकारान
आज वादी का वाद नोट प्रेस में स्वीकारण हो चुका है
अतः यह प्रार्थना पत्र भी स्वीकारण किया जा रहा है।
पत्रावली फौसल सुमार होकर बादतकमील संलग्न
मूलवाद है। *(Signature)*

Not Press

12